राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़
जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645, 07432 –230646
फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांकः–प.1 / विजा / स्था0 / 2018 / 492 दिनांक 7 / 02 / 2018

:– आदेश :–

श्री जगदीश कालरा तहसीलदारा मनोहरथाना को ज्ञापन क्रमाक 2955 दिनांक 04.10.17 एवं 3076 दिनांक 16.10.17 से राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत इस आशय का नोटिस जारी किया जाकर निम्न प्रकार आरोपित किया गया था।

आरोप संख्या –1

यह कि आपको इस कार्यालय के आदेश क्रमांक सहा. / 17 / 2346 दिनांक 18.09.17 एवं पत्रांक सहायता / फसल खराबा / 2017 / 2342 दि. 18.09.17 से निर्देशित करने के उपरान्त भी आपके द्वारा खरीफ फसल 2016 (संवत 2073) की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर आपकी तहसील क्षेत्र के अभावग्रस्त धोषित ग्रामो मे 50 प्रतिशत से अधिक खराबे वाले 2 हेक्टेयर तक भूमिधारकों की सूची तैयार कर तत्काल उपलब्ध कराने हेतु आपको निर्देशित किया गया था।

आपके द्वारा आपदा प्रबंधन एंव सहायता विभाग के निर्देशानुसार उपलब्ध कराई गई सूचियों मे काश्तकार के बैंक खाता संख्या, बैक शाखा का नाम, आईएफसी कोड संख्या एवं अन्य विवरण उपलब्ध नही होने से काश्तकारो को मुआवजा राशि का भुगतान समय पर नही हो सका। इस प्रकार आपके द्वारा राजकार्य मे लापरवाही बरती गई है, जिसके लिए आप को आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या 2. –

यह कि आप द्वारा खरीफ फसल 2016 संवत 2073 की 7डी में 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक हुए खराबे में 2 हेक्टेयर तक कुल भूमिधारक 25139 राशि 632.92 लाख रू. अंकित किये गये थे, जिसके अनुसार इस कार्यालय द्वारा प्रस्ताव आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग तथा राजस्व विभाग जयपुर को प्रेषित किये गये है। 7डी के समय भिजवाई गई सूचना को ही वास्तविक मानते हुए राज्य सरकार द्वारा बजट प्रदान किया जाता है।

आप द्वारा कुल लाभान्वित कृषक संख्या 34669 राशि 860.30 लाख रू. की सूचियां केन्द्रीय सहकारी बैंक में भिजवाई गई है। जो की 7डी रिपोर्ट के मुकाबले कृषक सं0 9530 एवं राशि 227.38 लाख रू. अधिक है। जिस कारण से अवशेष कृषको को भुगतान नही हो सकता है। जिसके कारण वित्तीय अनियमितता हुई है। जिसकी जिम्मेदारी आप स्वयं की ही है। इस प्रकार आपके द्वारा राजकार्य मे लापरवाही बरती गई है, जिसके लिए आप को आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या 3 –

यह कि आपको उक्त संबंध में कारण बताओं नोटिस क्रमांक सहायता / नोटिस / 2017 / 2586 दिनांक 12.10.17 जारी कर उक्त सूचना तत्काल एवं नोटिस का जवाब तीन दिवस में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु आपके द्वारा न तो वांछित सूचना संबंधित कार्यालय को उपलब्ध कराई गई, न ही इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। जिसके लिए आपको आरोपित किया जाता है।

उक्त आरोपो के कम मे श्री जगदीश कालरा तहसीलदार मनोहरथाना के द्वारा पत्र क्रमाक 753 दिनांक 11.10.17 एवं पत्र क्रमाक 11.10.17 10.11.17 को लिखित जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया :–

तहसील क्षेत्र के 50प्रतिश से अधिक खराबा वाले लघु सीमान्त कृषको को अनुदान प्रदान किये जाने के कार्यालय हाजा के आदेश क्रमाक 1162–66 दिनांक 27.9.17 से तहसील क्षेत्र के प्रभावित 34669 कृषको को 86029621 झालावाड केन्द्रीय सहकारी बैक शाखा म0थाना के माध्यम से वितरित किये जाने के आदेश जारी किये गये । दिनांक 28.9.17 को उक्त बैक के मेनेजर से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित कर समस्त सूचिया सौपी गयी

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़
जगमग हैल्पलाईन :— 07432—230645, 07432 —230646
फोन न. 07432—230403, फैक्स न. —230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

।तहसील क्षेत्र म0थाना मे दिनांक 10.10.17 तक 4214 कृषको के खातो मे राशि 144.13 लाख जमा करवा दी गयी है । पटवारियो द्वारा अन्य बैको के लगभग 3200 से अधिक खातो के एकाउन्ट नम्बर काश्तकारो से प्राप्त कर लिये गये है जिसके भुगतान की कार्यवाही जारी है ।

फसल खरीफ 2016 सवंत 2073 की पैरा 7 डी तैयार करते समय बहुत ही कम समय दिया गया था कम समय होने के कारण यह अनुमानत तैयार की गयी थी । पुनः भिजवायी गयी कृषको की ख्ंया 34669 एवं राशि 860.30 लाख विस्तुत सर्वे की जाकर वास्तविकता के आधार पर तैयार की गयी । फसल खराबा असचित मे 6800/— प्रति हेक्टेयर की दर से मुआवजा राशि देय है तथा एक एअर खराबा पर भी कम से कम 1000 देय है । इस प्रकार के कृषको की संख्या बहुतायत मे होने के कारण पैरा 7 डी मे दर्शायी राशि से वास्तवित राशि मे अन्तर आया है ।काश्तकारो की संख्या बढने का प्रमुख कारण यह है कि पंडित दीनदयाल जनकल्याण शिविरो मे बडी संख्या मे बडी संख्या मे खाता विभाजन एवं वारिसान के नामान्तकरण दर्ज हुए,जिससे कि 7 डी मे भिजवाये गये काश्तकारो की संख्या मे वास्तविक बढोतरी हुई है । कार्य अधिकता के कारण समय पर नोटिस का जवाब प्रेषित नही किया जा सका था । इस प्रकार कृषको को आदान अनुदान की राशि वितरण का कार्य पूर्ण जिम्मेदारी से करवाया जा रहा है जिसके शीघ्र ही सम्पन्न होने की आशा है ।

हमारे द्वारा अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से सुना गया । अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत के सुनवाई मे वही कथन दोहराया गया जो जवाब मे अंकित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया, कार्मिक को भविष्य के लिए कार्य समयबद्व संपादित करने की हिदायत के साथ प्रकरण मे कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।

जिला कलक्टर
झालावाड

कमाक सम0/18/ 493—96
दिनांक 7.02.2018

प्रतिलिपी निम्न को :—
1—उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना
2—तहसीलदार मनोहरथाना
3—श्री जगदीश कालरा तहसीलदार मनोहरथाना
4—व्यक्तिगत पत्रा0 श्री कालरा
5—रक्षित पत्रावली

जिला कलक्टर
झालावाड